न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2015 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 20.07.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00064

मनीष पिता गोविन्दलाल आमेटा, जाति ब्राह्मण, उम्र 35 साल, निवासी नंदवाई, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–बगदुराम पिता हजारी रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर (म.प्र.)
2–अमरू पिता हजारी रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर (म.प्र.)
3–मु. गीता पुत्री हजारी रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर (म.प्र.)
4–थानी बाई पुत्री हजारी रेबारी, उम्र वयस्क, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ, जिला मंदसौर (म.प्र.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बेगूं आवंटन प्रकरण संख्या 1077/86 आवंटन दिनांक 19.06.1986

उपस्थितिः–1– श्री कृष्ण गोपाल व्यास, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्र. सं. 08/2015 (रा.प्रा.पत्र)
मनीष पिता गोविन्दलाल आमेटा, निवासी नंदवाई, तहसील बेगूं बनाम बगदुराम पिता हजारी रेबारी, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ (म.प्र.)

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम आमलदा पटवार हल्का नंदवाई की कृषि भूमि आराजी नम्बर 961/428 रकबा 5 बीघा किस्म बंजड़ भूमि उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के आदेश दिनांक 19.06.1986 से मु. मेहताबी बेवा सवा जी रेबारी के नाम गैर खातेदारी हक से आवंटित की जिसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान जो कि विपक्षीगण है के गैर खातेदारी में दर्ज हुई जो कि उक्त आवंटन अवैधानिक रूप से कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के नियमों का उल्लंघन कर आवंटन की जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी ने अधिकार पत्र पेश किया। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ से आवंटन पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त होने तथा अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि मौजा आमलदा, पटवार हल्का नंदवाई की कृषि भूमि आराजी संख्या 961/428 रकबा 5 बीघा भूमि मु. मेहताबी बाई बेवा सवा जी रेबारी के नाम आवंटित की जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 241 दिनांक 12.06.1987 से मु. मेहताबी बेवा सवा रेबारी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। उक्त आवंटी की मृत्यु हो जाने से विरासत से उक्त भूमि उसकी दोनो पुत्रियों कस्तुरी बाई तथा सब्बू बाई के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज हुई तथा सब्बू बाई एवं कस्तुरी बाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिसान जो कि विपक्षीगण हैं के नाम भूमि गैर खातेदारी में दर्ज की गई। वर्तमान चालू जमाबन्दी में विपक्षीगण के नाम उक्त आवंटित कृषि भूमि आराजी नम्बर

प्र. सं. 08/2015 (रा.प्रा.पत्र)
मनीष पिता गोविन्दलाल आमेटा, निवासी नंदवाई, तहसील बेगूं बनाम बगदुराम पिता हजारी रेबारी, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ (म.प्र.)

961/428 रकबा 0.81 हैक्टेयर गैर खातेदारी में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी बेगूं द्वारा दिनांक 19.06.1986 को उक्त कृषि भूमि मेहताबी बाई पत्नि सवा रेबारी के नाम गैर खातेदारी में गलत रूप से आवंटित की गई है क्योंकि उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर बंजड़ भूमि है जिस पर कभी भी खेती नहीं हुई है। आवंटन के समय भी रेकार्ड में उक्त भूमि किस्म बंजड़ दर्शा रखी थी और वर्तमान में भी बंजड़ दर्शा रखी है जिसमें किसी प्रकार की कोई फसल होने का अंकन राजस्व रेकार्ड, खसरा गिरदावरी में अंकित नहीं है। उक्त भूमि आवंटन दिनांक से सदैव बंजड़ ही रही है तथा उक्त भूमि पर मेहताबी बाई का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा न ही उनके वारिसान विपक्षीगण का कब्जा रहा तथा न ही कभी खेती की। विधिनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में 1/2 भूमि पर तथा शेष 1/2 भाग में दूसरे वर्ष में खेती/काश्त किया जाना आवश्यक है किन्तु उक्त कृषि भूमि बंजड़ होने के कारण कभी भी खेती योग्य नहीं रही है। ग्राम आमलदा की उक्त विवादित भूमि आराजी संख्या 961/428 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रार्थी के पिता गोविन्दलाल पुत्र भंवरलाल आमेटा का विगत 50 वर्षों से कब्जा था और उक्त भूमि किस्म बंजड़ पर प्रार्थी का बाड़ा बना हुआ है जिसमें कृषि उपज, खाद-बीज तथा मवेशी बांधते चले आ रहे हैं। प्रार्थी के पिता की मृत्यु करीब 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिनके बाद निरन्तर प्रार्थी का कब्जा होकर पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल बनाकर कुछ पेड़ लगा रखे हैं तथा कृषि उपज पडी हुई है जो प्रार्थी के निरन्तर कब्जे व शांतिपूर्ण उपयोग-उपभोग में है। इस प्रकार विवादित भूमि पर विपक्षीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कभी भी किसी प्रकार से कोई कब्जा क्षण मात्र के लिए भी नहीं रहा है। उक्त आवंटन जो हुआ है वह आवंटन प्रक्रिया विधि-विरूद्ध होकर गुपचूप तरीके से की गई है। आवंटन कमेटी का गठन नहीं किया, मौके की कोई रिपोर्ट नहीं ली गई कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। सारी कार्यवाही अवैधानिक रूप से होने से आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी मेहताबी बाई राजस्थान राज्य की निवासी नहीं होकर वह मध्य-प्रदेश की निवासी थी तथा उसकी पुत्रियां एवं विपक्षीगण भी मध्य-प्रदेश के निवासी है आवंटी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर उक्त आवंटन कागजी तौर पर प्राप्त किया है। जो खारिज योग्य होने से किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्र. सं. 08/2015 (रा.प्रा.पत्र)
मनीष पिता गोविन्दलाल आमेटा, निवासी नंदवाई, तहसील बेगूं बनाम बगदुराम पिता हजारी रेबारी, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ (म.प्र.)

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि भू आवंटन कमेटी, बेगूं द्वारा जो भूमि का आवंटन किया गया है वो मेहताबी बाई जो कि विपक्षीगण की नानी है उनको किया गया है उनकी मृत्यु पश्चात् उनके कोई पुत्र नहीं होने से उनकी दो पुत्रियों के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई उसके बाद विवादित भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थी ने स्वयं का विवादित भूमि पर कब्जा बताया है जो कि अतिक्रमी होकर ट्रेस पासर का विधिवत् अधिकार नहीं बनता है। अतः प्रार्थी आवंटन आदेश को चुनौति नहीं दे सकता। विपक्षीगण की नानी के नाम जो भूमि का गैर खातेदारी हक से आवंटन हुआ है वह सन् 1986 में हुआ है तथा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् स्वतः भूमि खातेदारी में दर्ज मानी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन चलने योग्य नहीं होने से निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के आदेश दिनांक 09.06.1986 से मु. मेहताबी बाई बेवा सवा रेबारी को ग्राम आमलदा, पटवार हल्का नंदवाई की बिलानाम आराजी संख्या 428 मी रकबा 23 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि का गैर खातेदारी हक से आवंटन हुआ है चूंकि आवंटन पत्रावली जाया हो चुकी है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह बताना मुश्किल है कि मेहताबी बाई बेवा सवा रेबारी को जो आवंटन हुआ है वह विधि-सम्मत् हुआ है अथवा नहीं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अन्तर्गत खसरा गिरदावरी, ग्राम आमलदा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि आराजी संख्या 961/428 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म बंजड़ वर्तमान में भी विपक्षीगण के गैर खातेदारी में ही दर्ज है जिस पर कोई काश्त अंकित नही है जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आवंटी और उसके वारिसान विपक्षीगण का आवंटित विवादित आराजीयात पर आवंटन दिनांक से कभी कोई कब्जा-काश्त नहीं रहा है। साथ ही विपक्षीगण द्वारा भी विवादित आवंटित भूमि पर उनके कब्जा-काश्त होने बाबत् अथवा उक्त भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उनके आराजी नम्बर 961/428 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा-काश्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

प्र. सं. 08/2015 (रा.प्रा.पत्र)
मनीष पिता गोविन्दलाल आमेटा, निवासी नंदवाई, तहसील बेगूं बनाम बगदुराम पिता हजारी रेबारी, निवासी जवानपुरा, तहसील सीतामउ (म.प्र.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आवंटी तथा उसके वारिसान विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की विधिवत् पालना नहीं की गई है तथा न ही विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा-काश्त है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आमलदा, पटवार हल्का नंदवाई की आराजी संख्या 428 मी रकबा 23 बीघा मे से 5 बीघा का आवंटन (जिसके वर्तमान आराजी संख्या 961/428 रकबा 0.81 हैक्टेयर) निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बेगूं को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर राजस्व रेकार्ड एवं कब्जे के संबंध में मौके की जांचकर आंवटन के संबंध में नियमानुसार विधिवत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)